प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
[illegible]

सेवा में,

प्रबन्धक,
सैन्ट मैरीज .... प्रा0वि0 भिकावाला क्षेत्र [illegible]

पत्रांक शि0स0/मान्यता/ 386 /96-97 दिनांक - 6-5-96

विषय - आपके विद्यालय को प्राईमरी स्तर की मान्यता प्रदान किये जाने के विषय में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निवेदन है कि आपके विद्यालय की [illegible] का प्रस्ताव जिला मान्यता समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। [illegible] समिति के निर्णय [illegible] कि आपके विद्यालय को प्राईमरी स्तर की अस्थाई मान्यता शासनादेश संख्या 23/15-[illegible]/[illegible] 37(89) दिनांक 18-1-96 के [illegible] दिये गये निर्देशानुसार तीन वर्ष अर्थात दिनांक 1-[illegible] से 30-6-98 तक के लिए निम्न प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है।

1. विद्यालय समिति का पंजीकरण होना अनिवार्य है। पंजीकरण न [illegible] यदि नवीनीकरण होना हो तो वह अवश्य करा लिया जाये।
2. विद्यालय भवन में [illegible] माप के पक्के कमरे उपलब्ध होना आवश्यक है। [illegible] पर [illegible] विचार किया जायेगा जब विद्यालय के नाम भवन व [illegible] होगी।
3. अध्यापक/अध्यापिका [illegible] शिक्षा सत्र में प्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिका की नियुक्ति [illegible] जाये। अप्रशिक्षित शिक्षकों के होते हुए मान्यता का नवीनीकरण करना [illegible]
4. [illegible] कोष में एक हजार रुपए राष्ट्रीय बचत पत्र में [illegible] [illegible]
5. [illegible] के [illegible] और के [illegible], नर्सरी आदि का संचालन न किया जाये।
6. [illegible] की संख्या में वृद्धि की जाये।
7. [illegible] शुल्क न प्राप्त किया जाये निर्धारित शुल्क से अधिक न लिया जाये अन्यथा मान्यता [illegible] करना सम्भव न हो सकेगा।
8. [illegible] शिक्षा संहिता के अनुच्छेदों का पूर्णतया पालन किया जाये यदि ऐसा न किया गया तो मान्यता किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

तीन वर्ष पश्चात मान्यता स्थायीकरण मान्यता हेतु अपना पत्र समस्त [illegible] [illegible] सहित इस कार्यालय को दिनांक 30-3-98 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध करा दिया जाये। इसी सत्र में यदि राष्ट्रीय कार्य जैसे [illegible] परिवार कल्याण [illegible] में सहयोग नहीं प्राप्त होता है तो मान्यता का [illegible] पर विचार नहीं होगा।

भवदीय,

(श्रीमती [illegible])
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बिजनौर

पत्रांक शि0स0/मान्यता/ .... /96-97 की प्रतिलिपि व [illegible] निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. उप शिक्षा निदेशक बिजनौर।
2. [illegible]
3. [illegible] ....

(श्रीमती [illegible])
जिला बेसिक [illegible]

प्रेषक : मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
द्वादश मण्डल
मुरादाबाद ।

सेवा में,

प्रबन्धक/प्रधानाध्यापक,
सेंट मेरिस जूनियर हाई स्कूल,
शान्तिनगर, भूतावाला, अफजलगढ़
जनपद - बिजनौर

पत्रांक : शि0स0/मान्यता 4368-73 /99-2000 दिनांक 28/2/2000

विषय :- अशासकीय उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8) तक को 'स्थाई' मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासनादेश सं0 217/15-6-92-10-एस(7)/89 दिनाँक 11-5-92 में किये गये प्राविधानों के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 2681/166-95-18एस (7)/89 दिनाँक 18 फरवरी 1996 के द्वारा मण्डलीय स्तर पर गठित समिति के निर्णयानुसार आपके विद्यालय को कक्षा 6 से 8 तक 'स्थायी' मान्यता यह आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रदान की जाती है । प्रत्येक कक्षा हेतु एक वर्ग की अनुमति भी प्रदान की जाती है ।

शासनादेश में विहित मानकों के अनुसार आपके विद्यालय हेतु निम्नलिखित शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पद अनुमन्य होंगे -

1-	प्रधानाध्यापक	एक पद
2-	सहायक अध्यापक	चार पद
3-	लिपिक	एक पद
4-	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	एक पद

उक्त जनशक्ति में त्रिभाष/क्राफ्ट/प्रसार अध्यापक सम्मिलित माने जायेंगे । शासकीय/विभागीय आदेशों का पालन न करने की स्थिति में मान्यता प्रत्याहरण का अधिकार उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद को होगा ।

भवदीय

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
24/2/2000 द्वादश मण्डल, मुरादाबाद ।

पृ0सं0शि0स0/मान्यता/ /99-2000 दि0 उक्तवत् -1

प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- सचिव, उ0प्र0 बे0शि0 प0, इलाहाबाद ।
3- संयुक्त शिक्षा निदेशक, द्वादश मण्डल, मुरादाबाद ।
4- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बिजनौर
5- लेखाधिकारी, कार्यालय बे0शि0प0 बिजनौर
6- जिला समाज कल्याण अधिकारी, बिजनौर
7- उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, बिजनौर
8- कार्यालय गार्ड पत्रावली ।

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
द्वादश मण्डल, [illegible]

प्रेषक,

रजिस्टर्ड | मा–7

क्षेत्रीय सचिव,

माध्यमिक शिक्षा परिषद्

उत्तर प्रदेश,

क्षेत्रीय कार्यालय बरेली

सेवा में,
प्रबन्धक,
सेंट मेरीज जू0हा0स्कूल
भिक्कावाला
बिजनौर

पत्र संख्या मा० शि० प०/मान्यता/ब०/ 1902-07 बरेली, दिनांक 25-8-2001

विषय :– आपका हाई स्कूल/~~इन्टरमीडिएट~~ परीक्षा के लिए नवीन ~~अतिरिक्त~~ (वर्ग/~~विषय~~) की मान्यता का प्रार्थना-पत्र।

महोदय,

राजाज्ञा सं03759/15-7-2001-4(946)/2001 दिनांक 30 जुलाई2001 1921

शासन ने ~~मान्यता समिति एवं सभापति माध्यमिक शिक्षा परिषद् की संस्तुति के उपरान्त~~ इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा ~~7-क (क)~~/9(4) के अन्तर्गत आपके विद्यालय के बालक/~~बालिका~~ विद्यालय के रूप में परिषद की 2003 की हाई स्कूल/~~इन्टरमीडिएट~~ परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ नवीन/~~अतिरिक्त~~ वर्ग/~~विषयों~~ वित्त विहीन में मान्यता दिये जाने का आदेश प्रदान किया है।

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) इस पत्र में अंकित वर्ग/विषय की नवीन 9वीं/~~11वीं~~ कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध से (जैसे अध्यापकगण, सज्जा, शिक्षण-सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, स्थान, प्राभूत, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति) तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन से जिला विद्यालय निरीक्षक/~~मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका को पूर्ण रूपेण संतुष्ट कर उनसे लिखित अनुमति प्राप्त कर ली जाय। बिना उनकी लिखित अनुमति के संचालित कक्षा अमान्य व अनियमित होगी और इसके लिए संस्थाधिकारी ही स्वयमेव उत्तरदायी होंगे।~~ सूचित कर दें।

(2) इस आदेश-पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक/~~मंडलीयबालिका विद्यालय निरीक्षिका से~~ को 9वीं/~~11वीं~~ कक्षा संचालित करने की ~~अनुमति प्राप्त कर ली जाय।~~ सूचना रजि0डाक से दें तथा इसकी प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करें।

(3) सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाय। इसके लिए सिंगिल सीटेड डेस्क व चेयर्स ही स्वीकार किये जायेंगे।

(4) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं से विभूषित अध्यापकों/~~अध्यापिकाओं~~ की नियुक्ति नियमानुसार की जाय तथा अप्रशिक्षित अध्यापकों/~~अध्यापिकाओं~~ के स्थान पर प्रशिक्षित एवं योग्य अध्यापकों/~~अध्यापिकाओं~~ की नियुक्ति की जाय।

(5) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/~~प्रधानाचार्या~~ की नियुक्ति की जाय।

(6) नवीन कक्षाएं संचालित करने का समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयमेव वहन करें।

(7) विद्यालय की प्रशासनिक एवं शिक्षण की व्यवस्था संस्था के निजी स्रोतों से की जाए।

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो विद्यालय की प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी। 1-ख अंशकालिक अध्यापकों की सेवायोजन की व्यवस्था अध्यापन के निमित्त संस्था निजी श्रोतों से स्वीकार किये जाने तथा इस हेतु शासन से किसी अनुदान की अपेक्षा न जाने के ~~कम्म~~ सम्बन्ध में प्रबंध तंत्र का पारित प्रस्ताव की मूल प्रति एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (ख) से प्रमाणित प्रति प्रेषित करें। 2- प्राइमरी कक्षाऐ उसी भवन में कदापि 3- सज्जा- 50 एकल सेट सज्जा तथा 06 बड़ी प्रयोगात्मक मेजों ~~क्रि/क्र/~~ क्रय की जाय। 4- शिक्षण सामग्री - रू 13000/= की शिक्षण सामग्री क्रय कर मूल्यांकित सूची प्रेषित करें 5-भवन भूमि एवं क्रीड़ास्थल विद्यालय के निजी स्वामित्व में होने का प्रमाणपत्र प्रेषित मानकानुसार 01 शिक्षण कक्ष, 01 वैकल्पिक कक्ष, 02 प्रयोगात्मक कक्ष /प्रयोगशाला, 02प्रधा कक्ष,, 01 कलाकक्ष, कुल 07 कमरे निर्मित्त कराएं। उपर्युक्त सभी सामान्य एंवविशेष प्र की पूर्ति कर आवश्यक पत्रजात एक वर्ष के भीतर न प्रेषित किये जाने की दशा में मान्य प्रत्याहरणार्थ पत्रावली शासन को सन्दर्भित कर दिया जायेगा। इस हेतु किसी भी प्र की नोटिस नही दी जायेगी।

वर्ग व विषयों का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
हाई0नवीन 2003 से	एक साथ(वन टाइम) अनिवार्य एवं वैकल्पिक /विषयों सहित	

टिप्पणी (1) कक्षा---09----में प्रवेश हेतु कम से कम---40---छात्र उपलब्ध होने चाहिए ~~तथा इस पत्र में अंकित समस्त प्रतिबन्ध (नियुक्तियों को छोड़कर) की पूर्ति होने के उपरान्त ही निरीक्षक/निरीक्षिका कृपया कक्षा संचालन की अनुमति प्रदान करें।~~

भवदीय,

क्षेत्रीय सचिव।

दिनांक

पृष्ठांकन संख्या मा० शि० प०/मान्यता/ब०/

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

(1) जिला विद्यालय निरीक्षक/~~मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका~~। बिजनौर
(2) मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक। मुरादाबाद
(3) उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा निदेशालय उ० प्र०, इलाहाबाद।
(4) हाई स्कूल/इन्टरमीडिएट परीक्षा, संस्थागत अनुभाग, बरेली
(5) उपसचिव (मान्यता) माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ० प्र०, इलाहाबाद।

क्षेत्रीय सचिव

पी०एस०यू०पी० (आर०आर०)—180 मा० शि० प०—2-2-2000—25,000 प्रतियां (कम्पयूटर/आफसैट)।

रजिस्टर्ड

प्रेषक,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली

सेवा में,

प्रबन्धक,
सेंट मेरीस हाईस्कूल भिक्कावाला,
बिजनौर।

पत्रांकः आई०वी०मान्यता/ 808-813 दिनांक : 30-05-2015

विषयः इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिये नवीन की मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन ने मान्यता समिति एवं सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद् की संस्तुति के उपरान्त इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा–7क(क) के अन्तर्गत आपके विद्यालय को **बालक** विद्यालय के रूप में परिषद की **वर्ष 2017** की इण्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ **नवीन** विषयों में मान्यता इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम की धारा–7क(क) के प्राविधानों के अधीन प्रदान किया है।

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा–7क(क) के प्राविधानों के अन्तर्गत इस पत्र द्वारा नवीन/वर्ग/विषय की प्रदत्त मान्यता को 11वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध की व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था, साज–सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भूमि/भवन, पुस्तकालय, प्राभूत कोष, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति कर ली जाय तथा विद्यालय के अनुशासन एवं प्रशासन की व्यवस्था सुनिश्चित कर जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से परिषद् को अवगत करायें।

(2) इस मान्यता–पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही संस्था द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद् कार्यालय को 11वीं कक्षा संचालित करने की विधिवत् लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय, अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(3) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताधारी पात्र व्यक्ति को कार्य पर लगाया जाय।

(4) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय। यह प्रतिबन्ध केवल इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता पर ही प्रभावी होगा।

(5) इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता की नवीन कक्षायें संचालित करने का समस्त व्यय प्रबन्धाधिकरण द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा–7क(क) के समस्त प्राविधान यथावत् लागू होंगे। इस निमित्त कोई अनुदान देय नहीं होगा।

कृ०प०उ०

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्थाधिकारी द्वारा मान्यता सम्बन्धी प्रस्तुत किये गये विवरण में यदि कोई सूचना/प्रमाण गलत अथवा मिथ्या पाया जाता है अथवा कोई तथ्य छिपाया जाता है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धाधिकरण का होगा।

(ख) विद्यालय का प्रबन्धतंत्र प्रत्येक तीन माह में विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों की सूची उनकी शैक्षणिक योग्यताओं के साथ परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे अन्यथा विद्यालय को प्रदत्त मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।

(ग) प्रतिभूति कोष में रू० 10,000/– केवल विद्यालय के नाम जमा एवं निरीक्षक के पदनाम बन्धक करें।

(घ) यह मान्यता का आदेश माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या–25/2006 मंजू अवस्थी व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 05 अन्य विशेष अपील में मान० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.11.2012 के विरूद्ध मान० सर्वोच्च न्यायालय में योजित की जाने वाली विशेष अनुज्ञा याचिका में पारित होने वाले निर्णय के अधीन होंगे।

प्रदत्त मान्यता का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
मानविकी	हिन्दी/सामान्य हिन्दी	अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, संस्कृत, नागरिकशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, चित्रकला।
वैज्ञानिक	हिन्दी/सामान्य हिन्दी	अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित।

टिप्पणी:– उक्त पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति 6(छः) माह के अन्दर किये जाने की आख्या एवं प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।

भवदीय,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली

पृष्ठांकन सं०: आई०वी०मान्यता/ दिनांक : 2015

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– जिला विद्यालय निरीक्षक, **बिजनौर**।
2– संभागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, **मुरादाबाद**।
3– संभागीय उप शिक्षा निदेशक, **मुरादाबाद**।
4– इण्टरमीडिएट परीक्षा अनुभाग को अभिलेख हेतु।
5– सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, मुख्य कार्यालय, **इलाहाबाद**।

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली